न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला—सलूम्बर

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 32 / 2023 प्रा.प.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023 / 55

उनवान

1. श्री धनराज पिता भीमा बलाई, आयु बालिग,
2. श्रीमती नारायणी देवी पत्नि स्व. भीमा बलाई, आयु बालिग,
3. श्री पवन कुमार पुत्र भीमा बलाई, आयु बालिग,
4. श्री भुपेश पुत्र भीमा बलाई, आयु बालिग,
5. श्रीमती मंजु पुत्री भीमा बलाई, आयु बालिग,
6. श्री शंकरलाल पुत्र भीमा बलाई आयु बालिग,

सभी निवासी डगार, तह. सलुम्बर, हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

— **प्रार्थीगण**

विरूद्ध

1. श्री सोहनलाल पिता मोगा जी सालवी, उम्र बालिग, निवासी डगार, हाल निवासी सालवी मोहल्ला, सलुम्बन तहसील सलुम्बर, हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

— **विपक्षी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 जा.दी.

—::निर्णय::—

दिनांकः— 03/06/2026

सहायक कलक्टर सलूम्बर

उपस्थितिः श्री प्रकाश चौबिसा अधिवक्ता — प्रार्थीगण
श्री गोविन्दलाल डांगी अधिवक्ता — विपक्षी संख्या 1 एवं क्रोस प्रार्थना पत्र प्रार्थी संख्या 1 से 5 तक

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 सी. पी. सी. का प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थीगण के एकमात्र खातेदारी स्वामित्व की कृषि आराजी ग्राम डगार में स्थित है जिसमें नया खाता सं. 341 पुराना खाता सं. 337 में आराजी नम्बर 2456 रकबा 0.02 हेक्टर खातेदारी से दर्ज है। इस भूमि के पडौस पूर्व में गांगु पिता जगाजी मीणा का मकान, पश्चिम में स्वयं वादी का मकान, उत्तर में धुला पिता गमीरा जी सालवी का मकान, दक्षिण में गोवर्धन जी खटीक का मकान है, जो भूमि प्रार्थीगण के एकमात्र स्वामित्व की पैतृक भूमि है जो प्रार्थीगण के दादा के समय से खाते चली आ रही है। प्रार्थीगणों के उक्त खातेदारी कब्जे काश्त के आराजी 2456 रकबा 0.02 हेक्टर भूमि में विपक्षी जबरन निर्माण कर कब्जा करने पर आमादा है एवं वादग्रस्त आराजीयात पर मकान निर्माण पर जबरन दिनांक 03—05—2023 को जे.सी.बी. लाकर नीवें खुदवा दी। जबकि विपक्षी का इस आराजी के पास न तो कोई मकान है, ना ही कोई जमीन आदि है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा सन्तुलन एवं अपुरणिय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षी के विरूद्ध है। अतः आप श्रीमान् से सानुरोध निवेदन है कि मुल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षी के विरूद्ध इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र की क्रम सं. 2 में वर्णित प्रार्थीगण के खातेदारी स्वामित्व के आराजी नम्बर 2456 रकबा 0.02 हेक्टर पर विपक्षी किसी प्रकार से अतिक्रमण, कब्जा नहीं करे, कोई कच्चा, पक्का निर्माण नहीं करें एवं ना ही उक्त कृत्य अपने परिजनों, नौकरो इत्यादी से करावे।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलवी हेतु प्रार्थना पत्र की प्रति के साथ नोटिस जारी किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्दलाल डांगी हाजिर रहे। विपक्षी ने जवाब मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए अंकित किया कि हाल आ.नं. 2456 रकबा 0.02 हे. के वादीगण खातेदार काश्तकार नही है। वादीगण के खाते साबिक आ.नं. 2057 रकबा 1 एक बिसवा कृषि भूमि थी उसे हाल आ.नं. 2455 गाँव की आबादी भूमि में मिला दी है जिस पर वादीगण ने पक्का मकान आज से 2 वर्ष पूर्व बनाया है एवं हालं आ.नं. 2456 मुझ प्रतिवादी के स्व. पिता मोगा पुत्र नवला बलाई के खाते की सा.आ.नं. 2056 रकबा 5 बिसवा से बना हुआ जुज हिस्सा है जिस पर प्रतिवादी व उसका भाई शान्तिलाल एवं बहिने कमलाबाई, भगवतीबाई व ललिताबाई अपने पिता के निधन के बाद आज तक शान्तिपूर्वक काबिज चली आ रही है। वादीगण ने जो पडोस लिखे है उनके मध्य प्रार्थीगण के खाते की साबिक आ.नं. 2057 रकबा 1 बिसवा भूमि नही है। वादीगण के खाते की भूमि 1 बिसवा के बजाय डेढ बिसवा भूमि पर वादीगण ने दो वर्ष पूर्व पक्का मकान बना दिया है जिसका पिछवाडा मुझ प्रतिवादी की भूमि की तरफ है जिस पर अवैद्य रोश रख दी है। वादीगण के दादा के समय का कब्जा सा.आ.नं. 2057 पर था जो अब आ.नं. 2455 आबादी में स्थित है जिस पर वादीगण का मकान 1 एक बिसवा के बजाय डेढ बिसवा पर है जिसमें 1/2 बिसवा भूमि हम विपक्षी की है।

हाल आ.नं. 2456 रकबा 0.02 है. हाल पैमाईश में अमीनों से मिलकर वादीगण ने अपने खाते अवैद्य रूप से अंकित करा देने से वादीगण को कोई लाभ नही मिल सकता। 1 एक बिसवा का रकबा 0.0100 हे. होता है परन्तु प्रार्थीगण ने अपने खाते कराई है 0.02 हे. कभी नही हो सकता है। हाल आ.नं. 2456 रकबा 0.0200 हे. हम प्रतिवादीगण के स्व. पिता मोगा पुत्र नवला के खाते की सा.आ.नं. 2056 रकबा 5 बिसवा का बना है। प्रतिवादी सा.आ.नं. 2056 का नजरी नक्शा मय पडोस एवं नपति के पेश कर रहा है उसमें पीले रंग से दिखा रखी भूमि सा.आ.नं. 2056 का भाग है एवं हाल आ.नं. 2456 इसी का भाग है जो वादीगण का नही है। वादीगण को हम प्रतिवादीगण की भूमि पर निर्माण रूकवाने का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादी के पिता ने पूर्व खातेदार स्व. अमरा पिता पूंजा बलाई से तारीख 27–8–1982 को साबिक आ.नं. 2056 रकबा 5 बिसवा आज से 41 वर्ष पूर्व खरीदी तब से आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थना प्रार्थीगण गलत है एवं विपक्षी के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

विपक्षी श्री सोहनलाल एवं शान्तिलाल पुत्र स्व. मोगाजी सालवी, श्रीमती कमला पुत्री स्व. मोगाजी सालवी, श्रीमती भगवती पुत्र स्व. मोगाजी सालवी, श्रीमती ललिता पुत्री स्व. मोगाजी सालवी ने विशेष कथन एवं क्रोस प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि उसके स्वर्गीय पिता मोगा पुत्र नवला बलाई बुनकर निवासी डगार ने दिनांक 27–08–1982 को पूर्व खातेदार अमरा पुत्र पुंजा बलाई से मौजा एवं पटवार हल्का डगार स्थित खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि साबिक आराजी नम्बर 2056 रकबा 5 बिसवा को 2000 रुपये में क्रय किया था तथा उसी दिन से भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया था। उक्त भूमि के चारों ओर के पड़ोसियों एवं सीमाओं का विस्तृत विवरण वादपत्र एवं संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है। क्रोसवादकर्ता का कहना है कि प्रतिवादीगण की साबिक आराजी नम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

2057 रकबा 1 बिसवा उससे लगी हुई है, किन्तु प्रतिवादीगण ने अपनी निर्धारित भूमि से अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर पश्चिमी दरवाजे की ओर एकमंजिला पक्का मकान बनाकर लगभग 340 से 500 वर्गफीट भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर लिया है तथा मकान की पूर्वी दीवार एवं रोशनदान आदि भी क्रोसवादकर्ता की भूमि में बना दिए हैं। इस कारण प्रतिवादीगण की दीवार हटवाकर कब्जा दिलाने तथा अवैध निर्माण तुड़वाने हेतु आदेशात्मक निषेधाज्ञा की मांग की गई है। प्रतिवादीगण ने अपने खाते की साबिक आराजी नम्बर 2057 रकबा 1 बिसवा से अधिक भूमि पर निर्माण कर लिया है और सेटलमेंट विभाग के अमीनों ने गलत पैमाइश एवं अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर क्रोसवादकर्ता की भूमि का गलत इन्द्राज प्रतिवादीगण के खाते में कर दिया है। क्रोसवादकर्ता के अनुसार उसकी साबिक आराजी नम्बर 2056 का वर्तमान हाल नम्बर 2456 रकबा 0.020 हेक्टेयर होना चाहिए था, किन्तु अमीनों ने सैकड़ों वर्षों पुराने सार्वजनिक रास्ते साबिक आराजी नम्बर 2055 को भी गलत रूप से उसके पिता के खाते में दर्ज कर दिया तथा वास्तविक खातेदारी भूमि का सही इन्द्राज नहीं किया। रास्ता आज भी सार्वजनिक उपयोग में है और दोनों ओर गांव वालों के मकान बने हुए हैं, इसलिए उसे सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाना चाहिए तथा खातेदारी भूमि का सही सीमांकन एवं इन्द्राज दुरुस्ती कराई जानी आवश्यक है। क्रोसवादकर्ता को इस गलत इन्द्राज एवं प्रतिवादीगण के कब्जे की जानकारी तब हुई जब वह विवादित भूमि पर निर्माण कार्य हेतु पत्थर डालने लगा और उसी दौरान उसे राजस्व वाद का समन प्राप्त हुआ। इसके बाद उसे पता चला कि उसकी भूमि का हाल नम्बर 2456 प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज कर दिया गया है। अतः प्रार्थना है कि मूल क्रोसवाद के निर्णय तक विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि मौजा एवं पटवार हल्का डगार की प्रार्थीगण के स्व. पिता मोगा पुत्र नवला बलाई बुनकर के खाते की सा.आ. नं. 2056 रकबा 5 पाँच बिसवा से बना हाल आ.नं. 2456 रकबा 0.0200 हे. एवं अन्य भूमि जिसे इस प्रार्थना पत्र पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से एवं पडोसो एवं नपति के मध्य दिखा रखी भूमि पर प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक काश्त कब्जे एवं उपयोग व उपभोग में विपक्षीगण किसी प्रकार की दस्तनदाजी नही करे एवं नही इस भूमि पर प्रवेश करे एवं नही अवैद्य निर्माण करे एवं नही किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को हस्तान्तरण करे एवं नही उक्त कृत्य अपने परिजनों, नौकरों एवं मजदूरों आदि से करावें।

मूलप्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण एवं क्रोसप्रार्थना पत्र के विपक्षीगण ने क्रोस प्रार्थना पत्र के तथ्यो को अस्वीकार करते हुए अंकित किया कि आ.न. 2056 को मोगा वल्द नवला बलाइ ने नही खरीदा है ना ही अमरा पिता पूंजा बलाई ने बेचा हे ऐसा कोई विक्रय विलेख निष्पादित नहीं हुआ है। क्रोस प्रार्थना पत्र के विपक्षीगण का मकान 50 वर्षों से पैत्रक जमींन पर बना हुआ है। जिसे क्रोस वादी को तुडवाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी के मकान के पीछे क्रोस वादी की कोई जमीन नहीं है। प्रतिवादी के मकान के पीछे प्रतिवादी की ही जमींन है। क्रोस वादी आ.न. 2456 को अपने खाते करवाने का अधिकारी नहीं है। क्रोस वादी के खाते में आराजी नं. 9670/2475 दर्ज है जो वर्तमान में रास्ता हे पीले रंग से दर्शित भूमि में 2 एयर भूमि वादी की व शेष भूमि अन्य पड़ोसियों की हे स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद चलने योग्य नही है। क्रोस वादी की भूमि रास्ते में चली गई है और गलत रजिस्ट्री बताकर प्रतिवादी की जमींन हडपना चाहते हे। प्रथम द्रष्टिया मामला, सुविधा संतुलन, अपूर्णीय क्षति, सुविधा संतुलन क्रोस प्रतिवादी के पक्ष में हे। अतः निवेदन हे की क्रोस प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करावे।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण की बहस अपने प्रार्थना पत्र एवं क्रोस प्रार्थना पत्र के जवाब अनुसार रही तथा विपक्षी ने बहस मे अपने जवाब में वर्णित एवं क्रोस प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि के स्वामित्व, कब्जे, पैमाइश एवं सही इन्द्राज के संबंध में गंभीर विवाद परिलक्षित होता है। दोनों पक्ष स्वयं को कब्जाधारी एवं खातेदार बता रहे हैं तथा दोनों द्वारा एक–दूसरे पर अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के आरोप लगाए गए हैं। रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि अंतिम रूप से विवादित भूमि पर किस पक्ष का निर्विवाद अधिकार स्थापित है। वर्तमान अवस्था में यदि किसी एक पक्ष को निर्माण, हस्तांतरण अथवा कब्जे में परिवर्तन की अनुमति दी जाती है तो विवाद की स्थिति और जटिल हो सकती है तथा भविष्य में अपूरणीय क्षति की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः न्यायहित एवं विवादित संपत्ति की वर्तमान स्थिति बनाए रखने हेतु यह उचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

मूल प्रार्थना पत्र तथा क्रोस प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं तथा दोनों पक्षकारों को आदेशित किया जाता है कि वाद के अंतिम निर्णय तक विवादित भूमि की मौके की वर्तमान यथास्थिति बनाए रखें तथा कोई नवीन निर्माण, अतिक्रमण, कब्जे में परिवर्तन, विक्रय, हस्तांतरण अथवा तृतीय पक्ष हित उत्पन्न नहीं करेंगे। साथ ही दोनों पक्ष किसी प्रकार की शांति भंग नहीं करेंगे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय दिनांक 03/06/26 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर (राज.)

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला–सलूम्बर
जिला सलूम्बर